


बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-1/प्र०नर्स-02/2019- 725 (1) /स्वा०, पटना, दिनांक- 13/06/2019

बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-83 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत ए०एन०एम० नर्स प्रशिक्षण संस्थान, एम०जे०के० अस्पताल, बेतिया (पश्चिम चम्पारण) के विपत्र कोड-20-2210051050012 के दायित्वों का निष्पादन एवं नियंत्री-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के रूप में अधीक्षक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बेतिया (पश्चिम चम्पारण) को प्राधिकृत किया जाता है।

2- इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।


(विवेकानन्द ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव


ज्ञापांक:-1/प्र०नर्स-02/2019- 725 (1) /स्वा०, पटना, दिनांक- 13/06/2019

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, बेतिया (पश्चिम चम्पारण) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रमण्डलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/जिलाधिकारी, बेतिया (प० चम्पारण)/प्राचार्य/अधीक्षक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, बेतिया (पश्चिम चम्पारण)/अधीक्षक, एम०जे०के० अस्पताल, बेतिया (पश्चिम चम्पारण) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/अपर सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना को साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव